क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई–12/1, सेक्टर–1, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

संदर्भ सं० 62/N.O.C-6/09-10 दिनांक 17/4/09

सेवा में,

मै० डी.वी.टी.पी.इण्टरनैशनल ट्रेड सेन्टर लि०,

एन–११, कनाट सर्किल, कनाट सर्कस,

नई दिल्ली–११०००१

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार/संयत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन :

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक ०८.०४.२००९ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

1- अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है। :-

(क) स्थल : प्लाट नं० ०२, सैक्टर–९४, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

(ख) उत्पादन : होटल बिल्डिंग संख्या–०१ (कुल कमरे ५००)
आफिस/रिटेल बिल्डिग संख्या–०२
आफिस बिल्डिग संख्या–०३

(ग) मुख्य कच्चे माल : भवन निर्माण सामग्री

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा :.....शून्य..
....
....

(ङ) प्रयुक्त ईधन :...डीजल..
(२००० के.वी.ए. के १० एवं १००० के.वी.ए.के ५ डी.जी.सैटों में प्रयोग हेतु).............
....

१. उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

२. उद्योग में सभी आवश्यक यन्त्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरन्तर प्रेषित करें।

३. उद्योग/इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम २ माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा करा दिया जाये। यदि उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती हैं।

४. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व इस कार्यालय द्वारा ईकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जायेगा।

५. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ..कुल..७३०..किलोलीटर/दिन.. से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाय।

६. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिए दिए गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......२०.५.२००९................. तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७. परिसर के अन्दर 33% भू-भाग पर ऊँचे, घने, प्रदूषण रोधी किस्म के वृक्षों की हरित पट्टिका, रूफ टाप रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम व पीजोमीटर स्थापित किया जाये।

८. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त ३० सितम्बर के पूर्व पर्यावरण वक्तव्य आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

९. उद्योग में प्रस्तावित डी.जी. सेटों के एक्झास्ट के टाप पर भवन छत से बोर्ड मानकों के अनुरूप/चिमनी तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एकास्टिक एनक्लोजर (कनोपी) एवं कम्पनरोधी रबड़ पैड स्थापित किये जाये।

१०. प्रस्तावानुसार जनित होने वाला घरेलू बहिस्राव एस.टी.पी. बिल्डिग संख्या ०१-३०० के.एल.डी.,एस.टी.पी.बिल्डिग संख्या ०२- १०० के.एल.डी.,एस.टी.पी.बिल्डिग संख्या ०३- १०० के.एल.डी.,एस.टी.पी.बिल्डिग संख्या ०४- १२० के.एल.डी.,एस.टी.पी. बिल्डिग संख्या ०५-५० के.एल.डी.,एस.टी.पी.बिल्डिग संख्या ०६- ५० के.एल.डी. से अधिक नही होगा।

११. ठोस अपशिष्ट का समुचित पृथक्कीकरण किया जायेगा एवं उसकी प्रकृति के अनुसार रिसाइकिल किया जायेगा तथा अपघटित होने वाले जैविक अपशिष्ट का निस्तारण ठोस अपशिष्ट अधिनियम २००० के अनुसार किया जायेगा।

१२. एस.टी.पी.से जनित होने वाले स्लज का निस्तारण इस प्रकार किया जाये कि वातावरण प्रदूषित न हो।

१३. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन)नियम १९८९ यथा संशोधित तथा उक्त के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

१४. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना दिनांक १४.९.२००६ का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

१५. शुद्धिकृत उत्प्रवाह को फलसिंग, हार्टिकल्चर तथा कूलिंग में प्रयुक्त किया जायेगा।

१६. शुद्धिकृत घरेलू उत्प्रवाह को डिस इन्फैक्शन के पश्चात पुनः प्रयोग में लाया जायेगा, डिश इन्फैक्शन हेतु ओजोनेशन पद्धति अपनायी जायेगी तथा प्रस्ताव के अनुसार जीरो डिस्चार्ज प्राप्त किया जायेगा।

१७. एस.टी.पी.का रख रखाव व संचालन इस प्रकार किया जाये कि शुद्धिकृत उत्प्रवाह की गुणता प्रत्येक दशा में बोर्ड मानको के अनुरूप रहे। एस.टी.पी.हेतु अलग से इनर्जी मीटर तथा विद्युत अनापूर्ति के समय विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से डी.जी.सैट की स्थापना की जायेगी।

१८. परिसर के अन्दर पार्किंग हेतु होटल तथा कामर्शियल बिल्डिग हेतु अलग-२ पार्किंग प्लेस की व्यवस्था की जायेगी जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी तथा पार्किंग से किसी भी प्रकार से जन यातायात प्रभावित नही होना चाहिए।

१९. २००० के.वी.ए. क्षमता के डी.जी.सैटों से सम्बद्ध चिमनी की छततल से ऊँचाई १०.० मीटर तथा १००० के.वी.ए.क्षमता के डी.जी.सैटों से सम्बद्ध मिनी की छतल से ऊँचाई ६.५ मीटर रखी जायेगी। डी.जी.सैट को प्रयोग विद्युत अनापूर्ति के समय किया जायेगा तथा डी.जी.सैट में प्रयुक्त होने वाला ईधन लो सल्फर युक्त डीजल ही होगा।

२०. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम १९७४ तथा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)अधिनियम १९८१ के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है तथा इसकी वैद्यता अवधि प्रस्तावानुसार दिनांक ३१.१२.२०११ तक होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं सतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ..२०.५.२००९..... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

क्षेत्रीय अधिकारी

पृष्ठांकन सं० /एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि :

१. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता वृत-१, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, "पिकप भवन" तृतीय तल, बी ब्लॉक, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

२. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र गौतमबुद्ध नगर .....

३. .....

क्षेत्रीय अधिकारी